अपील /एलआर /7874/2006/गंगानगर
देवेन्द्र कुमार बनाम सरपंच कृष्णचन्द उर्फ पप्पू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से।
(2) श्री जमील जई, अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–20.11.2024

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत मण्डल के समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 40/06 में पारित निर्णय दिनांक 19–08–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में, रिकार्ड पर उपलबध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किये गये है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निष्रय पारित किये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एकतरफा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–01–06 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। एकतरफा आदेश होने के कारण उपखण्ड अधिकारी सही तथ्यों से अवगत नहीं हो सके। इस कारण आदेश दिनांक 27–01–06 पारित कर दिया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध तथा विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किये गये है। शर्त 8 (2) के तहत कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत रास्ता आबादी के लिए स्वीकृत किया गया है। आबादी के लिए रास्ता स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु अपील अधिकारी के समक्ष अर्जित किया गया था परंतु नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। खातेदार कृषक की स्वीकृति के बिना रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आबादी के लिए अन्य रास्ता पूर्व में ही मौजूद है। आबादी के लिए कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं यह महत्वपूर्ण बिन्दु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष रिकार्ड पर मौजूद था जिसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर का आदेश दिनांक 27–01–06 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–06 निरस्त फरमाया जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का

अपील /एलआर /7874/2006/गंगानगर
देवेन्द्र कुमार बनाम सरपंच कृष्णचन्द उर्फ पप्पू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरोध करते हुए कथन किया कि राजस्व अभियान शिविर में ग्रामवासियान ने उपस्थित होकर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। राजस्व अभियान में आराजी के खातेदार/सहखातेदारान को बुलाया गया परंतु वह उपस्थित नहीं हुए। उक्त रास्ता ग्रामवासियों की सुविधा के मध्यनजर स्वीकृत किया जाना आवश्यक समझते हुए स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत् सरपंच द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी। उपर्युक्त आधार पर ही वाके चक 53 जी जी के मु0नं0 30 के कि0नं0 1 ता 5 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता मौके पर चालू को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त रास्ते को गै0मु0 दर्ज किये जाने के आदेश भी पारित किये गये थे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–2006 पारित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय बहाल रखे जावे। 5– हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 53 जी जी के निवासीगण एवं सरपंच ग्राम पंचायत 13 एफ एफ मानकसर पंचासत समिति श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 27–01–06 को उपखण्ड अधिकारी करणपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् चक 13 एफ एफ से चक 53 जी जी को जाने वाली सडक को जोडने बाबत् राजस्व अभियान शिविर में पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी करणपुर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक 53 जी जी के मु0नं0 30 के कि0 नं0 1 ता 5 प्रत्येक में से एक–एक बिस्वा रास्ता मौके पर चालू कर स्वीकृत करने के आदेश दिनांक 27–01–06 को पारित किये तथा उक्त रास्ता स्वीकृत को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करणपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2006 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 19–08–2006 के द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–2006 से व्यथित होकर अपीलाण्ट देवेन्द्रकुमार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने मुख्य रूप से कथन किया है कि ''उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य रूप से यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये है। शर्त 8 (2) के तहत कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत रास्ता आबादी के लिए स्वीकृत किया गया है। आबादी के लिए रास्ता स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किये गये है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।'' हम अपीलाण्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित	

अपील /एलआर /7874/2006/गंगानगर
देवेन्द्र कुमार बनाम सरपंच कृष्णचन्द उर्फ पप्पू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के लिए रास्ता स्वीकृत किया गया था जो पूर्व से ही चल रहा था। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कि0नं0 1, 2, 5 में अपीलाण्ट की भूमि है जिसके द्वारा अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी गयी है एंव कि0नं0 3, 4 के खातेदार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। परीक्षण न्यायालय ने दौराने राजस्व अभियान अपीलाण्ट को मौके पर बुलाया परंतु वे मौके पर उपस्थित नहीं हुए। उक्त कथन की ताईद परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–01–2006 से होती है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किये है जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। 6– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	